

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल मध्यावधि ऋण का आवेदन-पत्र

(अधूरा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा)

क्रमांक

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

पद नाम पदस्थी स्थान

प्रति,

अध्यक्ष

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी
सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल

महोदय,

1. मैं उपरोक्त सहकारी साख समिति का सदस्य हूँ तथा (अंकों में) रुपये (शब्दों में) रु. के मध्यावधि ऋण हेतु आवेदन करता/करती हूँ जिसका समिति के वर्तमान उप नियमों/नियमों एवं भविष्य में समय-समय पर इसमें किये जाने वाले परिवर्तन/संशोधन के अनुसार भुगतान करने हेतु वचनबद्ध हूँ। यह ऋण मैं मासिक किश्तों में अदा करूंगा/करूंगी।
2. मुझे यह ऋण कारण से चाहिए। जिसके उपयोग का मैं उचित प्रमाण-पत्र दूंगा/दूंगी
3. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं दिनांक से राज्य सहकारी बैंक की स्थाई सेवा में हूँ। मेरी सेवानिवृत्ति दिनांक..... है तथा बैंक में मेरी सेवा की अवधि वर्ष शेष है।
4. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मैंने किसी अन्य सहकारी साख समिति से कोई ऋण नहीं लिया है और न ही मैं किसी अन्य सहकारी साख समिति का/की सदस्य हूँ।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरी मासिक आय एवं देनदारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है (बैंक द्वारा जारी अद्यतन वेतन पत्रक की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)

आय का विवरण

मूल वेतन रु.
महंगाई भत्ता रु.
मकान किराया रु.
अन्य भत्ते रु.

कुल आय रु.

देनदारी/कटौती का विवरण

जीवन बीमा की किश्त रु.
भविष्य निधि किश्त रु.
जीवन बीमा की ऋण किश्त रु.
भविष्य निधि से ऋण किश्त रु.
गृह निर्माण सहकारी समिति से लिये गये ऋण की किश्त रु.
सायकल/स्कूटर/कार ऋण किश्त रु.
मकान भाड़ा रु.
अन्य ऋणों की कटौती रु.
साख संस्था की ऋण किश्त रु.
कुल कटौती योग रु.
शुद्ध प्राप्त वेतन रु.

6. मेरे भविष्य निधि खातों में कुल रु. जमा है.....
7. मैं निम्नलिखित जमानतदार (प्रतिभू) प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ जिन्होंने अपनी सहमति दी है। (जमानतदार बैंक की सेवा में स्थाई कर्मचारी होना चाहिए तथा म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. का सदस्य होना अनिवार्य है।)

प्रतिभू (जमानतदार) (एक) (1)

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदस्थी स्थान

प्रतिभू (जमानतदार) (दो) (2)

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदस्थी स्थान

8. मैं यह घोषित करता /करती हूँ कि उपरोक्त जमानतदारों में से एक अथवा दोनों सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/सेवामुक्ति अथवा अन्य किसी भी कारण से बैंक सेवा में नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में मुझे स्वीकृत ऋण की पूर्ण अदायगी अवधि तक के लिये मेरे द्वारा अन्य जमानतदार की जमानत प्रस्तुत की जावेगी अथवा अन्य जमानतदार प्रस्तुत नहीं कर सकने की स्थिति में मेरे द्वारा मेरे विरुद्ध बकाया ऋण की पूर्ण राशि तत्काल वापस की जावेगी।
9. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सही है एवं किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए मैं पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

नियोक्ता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु. पिता/पति

बैंक के रिकार्ड के अनुसार दिनांक से बैंक में कार्यरत है (दैनिक वेतन की अवधि न दर्शाये) एवं दिनांक को उसकी सेवा स्थाई की गई है तथा सेवा निवृत्ति का दिनांक है। बैंक रिकार्ड के अनुसार इनकी जन्मतिथि दिनांक है।

स्थान :

दिनांक :

नियोक्ता के हस्ताक्षर

एवं मुद्रा

DEMAND PROMISSORY NOTE

Place.....

Date.....

On demand, I.....
promise to pay the Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Karmachari Sahakari Sakh Samiti Maryadit,
Bhopal or order the sum of Rs.

(Rupees..... only) with interest thereon at the rate of.....

Per annum for value received.

Rs.



Witness :-

Signature.....

Name

Address.....
.....

Borrower :-

Signature.....

Name

Address.....
.....

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.

द्वारा

अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक

कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या.

भोपाल

: ऋण किश्त काटने का अधिकार पत्र :

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल से अनिवार्य जमा के विरुद्ध ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, जिसे मेरे नियोक्ता द्वारा म.प्र. को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत अग्रेषित करने के परिप्रेक्ष्य में मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को शपथपूर्वक यह अधिकार पत्र लिखकर देता हूँ, कि मेरे द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल से दिनांक को प्राप्त किये गये ऋण राशि रु.

की नियमित राशि रु. प्रत्येक माह मेरे वेतन से कटौती कर संस्था को भेजी जावे। किसी कारणवश किसी माह का वेतन न मिलने की स्थिति में वेतन मिलने वाले माह में ऋणदाता समिति द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र अनुसार राशि कटौती कर समिति को भेजी जावे।

मेरे सेवानिवृत्त/मृत्यु या सेवामुक्त करने/त्यागपत्र देने, जैसी भी स्थिति हो मेरे नियोक्ता/म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार रहेगा कि मुझे या मेरे आश्रितों को प्राप्त होने वाले ग्रेच्युटी, समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण या अन्य मदों से प्राप्ति योग्य राशि में से समिति की देय राशि की कटौती कर समिति को बकाया ऋण भेज दें।

मैं यह शपथपूर्वक वचन देता/देती हूँ कि यह अधिकार पत्र बिना म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल की लिखित अनुमति के वापिस नहीं होगा।

गवाह

शपथकर्ता (ऋणी)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पूरा नाम

पद

पद

स्थान

स्थान

दिनांक

दिनांक

